

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

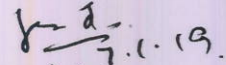
क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-D)/अलेसे-I/ 900

दिनांक:- 09/01/2018

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ग)(च.वे.)अलेसे-11/2251-2277 दिनांक 15.01.2003 द्वारा श्री श्याम स्वरूप गुप्ता, तत्कालीन लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार पद का द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 22.12.2001 से 6500-10500 (वेतन श्रृंखला 12) में स्वीकृत किया गया था।

अपील संख्या 587/2003 श्री श्याम स्वरूप गुप्ता बनाम निदेशक, कोष एवं लेखा एवं अन्य प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 11.07.2018 में दिये गये आदेश एवं प्रशासनिक विभाग के आगे अपील नहीं करने के निर्णय के अनुसरण में उक्त पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 15.01.2003 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री गुप्ता को द्वितीय चयनित वेतनमान कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि 17.12.1980 से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 17.12.1998 से स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 15.01.2003 की अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

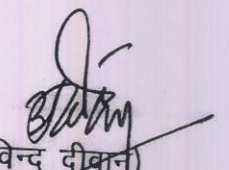

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-D)/अलेसे-I/ 900

दिनांक:- 09/01/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।
- 2 श्री श्याम स्वरूप गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाकार, मकान नं० 326, भूपालपुरा, एल.आई.रोड, उदयपुर।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
- 6 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीखन)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)